GCMS→2022/293

(3)

तरमीम
शुद्ध (पक्षकार)

सेवामें ,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

रायपुर

मुकदमा नम्बर 49/2022

अनवान

प्रार्थी

राजस्थान सरकार

जरिये भूमिधारी

तहसीलदार रायपुर

....

अप्रार्थी

1. मानसिंह पुत्र शिवुसिंह
कानसिंह, गिरधारी सिंह,
2. दौलतसिंह पि० शिवुसिंह
जाति रावत निवासी बीवल
5. ओमराम s/o कानाराम, कुशालपुरा
कुशालपुरा त. रायपुर

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 वास्ते तरमीम दुरूस्ती

महोदय,

1. निवेदन है कि अप्रार्थी मानसिंह पुत्र शिवुसिंह निवासी बीवल के नाम से ग्राम रायपुर पटवार मंडल रायपुर II तहसील रायपुर जिला पाली के नाम से खातेदारी भूमि अवस्थित है।

अप्रार्थी की पैरा एक में वर्णित भूमि की तरमीम वक्त सेग्रीगेशन गलत स्थान पर सहवन से करदी गई जिसे दुरूस्त किया जाना है।

पटवारी हल्का रायपुर II एवं भू अ.नि. रायपुर की रिपोर्ट अनुसार तरमीम शुध्दि के आदेश फरमाया जावे।

पेशकार
Tah Raipur
673
07/10/2022

तहसीलदार रायपुर
तहसीलदार रायपुर
जिला पाली (राज०)

फर्दमौका

आज दिनांक .... को ग्राम ......कींबल...... के खसरा संख्या ......2515......

रकबा 0.0324 किस्म ......चा.अ.(?)...... खातेदार ......मानसिंह, कानसिंह, गिरधारी सिंह, दौलतसिंह पि० तिलुसिंह...... कौम ......रावत...... का मौका देखा। मौके अनुसार खातेदारान का निम्नांकित नक्शा अनुसार कब्जा काश्त है।

नजरीनक्शा जो लट्ठे मे तरमीम है।

↓

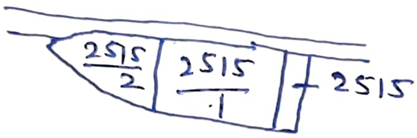

वर्तमान तरमीम जो गलत है।

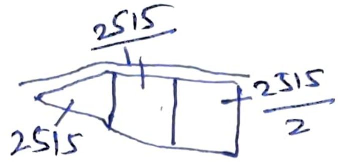

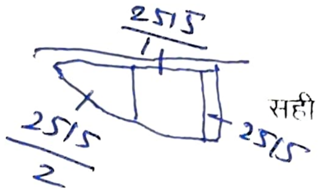

सही स्थान पर प्रस्तावित तरमीम

मौका / नक्शा लट्ठा अनुसार तरमीम शुध्दि प्रस्तावित है।

संलग्न–1. नकल जमाबन्दी
2. गत नक्शा की प्रति
3. वर्तमान नक्शा की प्रति

हस्ताक्षर गवाहान

मानसिंह दौलतसिंह गिरधारीसिंह कानसिंह

हस्ताक्षर पटवारी रामपुर-II

रिपोर्ट भू अ. निरीक्षक

पटवारी हल्का ......रामपुर II...... की फर्द मौका अनुसार मेरे द्वारा मौका जांच करली गई है। वर्तमान मौका एव पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा अनुसार प्रस्तावित स्थान पर तरमीम किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर भू अ. निरीक्षक

क्रमांक/सू.अ/131/22/2466 दि. 29.09.22

तहसीलदार (भूमिधारी) की अनुशंषा

रिपोर्ट पटवारी हल्का रामपुर II जांच भू अ. नि. रामपुर के आधार पर तरमीम शुध्दि की अनुशंषा की जातीहै।

तहसीलदार रायपुर
जिला-पाली (म.प्र.)

मुकदमा नम्बर 49/2022

आदेश

तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर की अनुशंषा के अनुसार ग्राम रामपुर के खसरा संख्या 2515 रकबा 0.0324 की वर्तमान तरमीम के स्थान पर प्रस्तावित तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर पालना कर , पालना प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)